

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मुरादाबाद

पत्रांक : 1955 / अनुमति-प्रा० / 2020-21
सेवा में

दिनांक : 4/08/2020

प्रबन्धक
टोरेट गैस प्रा०लि०,
मुरादाबाद।

विषय :- Permission for laying of underground Gas Pipeline 6" Dia Carbon Steel Pipeline & 125mm dia MDPE Pipeline in the same trench From Ranveer Petrol Pump to Kanth Filling Station towards (Kanth Road) and Aghwanpur-Hakimpur Road & Seruwa Village via Green Solution CNG Station Ladavli towards (Kanth Road) on SH-49 in the state of Uttar Pradesh.

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक-TGPL/GA-83/2020-21/MB/8 Dated 18-08-2020

उपरोक्त विषयगत मार्ग पर गैस पाइप लाईन डालने हेतु संलग्न मानचित्र के अनुसार इस खण्ड से सम्बन्धित निम्न मार्ग पर गैस पाइप लाईन डालने हेतु टोरेट गैस प्रा०लि० मुरादाबाद द्वारा इस खण्ड के पत्रांक :-1748/प्रा० दिनांक :- 30.07.2020 द्वारा जारी किये गये माँग पत्र के क्रम में जमा की गयी रू० 2667000.00 (छब्बीस लाख सड़सठ हजार मात्र) की बैंक गारण्टी संख्या-OGI0009200045575 दिनांक 13.08.2020 एवं रू० 23070.00 (तेईस हजार सत्तर मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संख्या-006244 दिनांक 17.08.2020 द्वारा गैस पाइप लाईन डालने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करने की संस्तुति की जाती है :-

क्र०स०	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)
1	2	3
1	मुरादाबाद-हरिद्वार-देहरादून मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-49) के चैनैज	23.070

प्रतिबन्ध यह है कि :-

1. गैस पाइप लाईन हेतु रोड कटिंग की सुरक्षित स्तर तक मरम्मत लो०नि०वि० की विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कर दी जाये।
2. गैस पाइप लाइन को मार्ग की लेपित सतह से कम से कम 1.50 से 2.50 मीटर दूरी एवं 1.20 मीटर गहराई में मार्ग के तटबंध के किनारे डाला जाए। किसी भी दशा में रोड कटिंग में मार्ग की लेपित सतह (Bituminous Surface) एवं फुटपाथ को क्षतिग्रस्त न किया जाए।
3. रोड कटिंग का कार्य सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ सम्पादित कराया जाये। किसी भी दुर्घटना/हदसे की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
4. रोड कटिंग में किसी अन्य विभाग/एजेन्सी की यूटिलिटी लाइन को क्षति न पहुँचे, इसका विशेष ध्यान रखा जाये। ऐसी किसी प्रकार की क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
5. रोड कटिंग की अवधि में यातायात के सुगम संचालन में कोई बाधा न उत्पन्न की जाये एवं यातायात के संचालन हेतु आवश्यक उपाय/ट्रैफिक पुलिस से समन्वय स्थापित अपने स्तर से करना सुनिश्चित करें।
6. मार्ग के किसी भी स्थान पर मार्ग की लेपित सतह पर ओपेन कट/ट्रैन्च न बनायी जाये। उक्त रोड क्रॉसिंग एच.डी.डी.विधि से की जाये।
7. भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण अथवा अन्य निर्माण कार्य प्रस्तावित होने पर गैस पाइप लाईन को आपको अपने व्यय पर शिफ्ट करना होगा।
8. यह अनुमति मात्र उपरोक्त वर्णित स्थल, कार्य एवं समयावधि के लिये ही मान्य है किसी भी दशा में अन्यत्र स्थल पर रोड कटिंग न की जाये।
9. उपरोक्त शर्तों के अनुरूप कार्य न करने की स्थिति में यह अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जाये एवं विभाग द्वारा आपके विलुप्त कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक :- प्रकरण मूल में।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मुरादाबाद
दिनांक :

पत्रांक : / अनुमति-प्रा० / 2020-21

प्रतिलिपि :-

1. सहायक अभियन्ता-तृतीय, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

Thanking you,
Yours sincerely,

Kalpesh Potdar
Assistant General Manager,
TGPL, Moradabad



अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
मुरादाबाद